प्रारूप–2

(नियम 8 क का उपनियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक– जिशिअ/प्राशि./जय./सा–5/फा.मान्यता/आमेर/ 544 2015/ दिनांक 18.3.15

संस्था सचिव

एन.के.पब्लिक स्कूल

राजावास सीकर रोड़, जयपुर

विषय : नियम 8–क के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन क्रमांक.................... और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर संस्था एन.के.पब्लिक स्कूल, राजावास, सीकर रोड़, जयपुर को कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्थायी मान्यता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :–

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारगीय नही होगी और किसी भी तरह से कक्षा–8 से आगे मान्यता/संबंद्धता की कोई अन्तर्हित नही होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 (2009 का केन्द्रिय अधिनियम सं. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा 1 में या यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ौस के कमजोर वर्ग और अभावग्रस्त समूह से संबंधित बालको को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धो के अनुसरण में प्रतिपूर्ती की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत रही करेगा और बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नही बनायेगा।

6. विद्यालय आयु के सबुत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नही करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :

1. विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा :
2. कोई बालक शारिरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नही होगा:
3. किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नही होगा:
4. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा–अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा :
5. 2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निर्योग्यता / विशेष आवश्यकता के विद्यार्थीयों के सम्मिलित किया जाये :
6. अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें :

   परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।
7. अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं : और
8. अध्यापक स्वंय को निजी अध्यापन कियाकलापों में नही लगायेंगें।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्विवरण का अनुसरण करेंगे।

8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा–विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार हैं :– (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र–प्रपत्र 1 के अनुसार)

   - विद्यालय परिसर का क्षेत्र
   - कुल निर्मित क्षेत्र
   - खेल–कूद के मैदान का क्षेत्र
   - कक्षा के कमरों की संख्या

- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालययों एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिए पृथक–पृथक शौचघर
- पीने के पानी की सुविधा
- मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
- अवरोध मुक्त पहुंच
- अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल–कूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोर्ठ गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलायी जाएगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाए या मैदान केवल शिक्षा और कोशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगें।
11. विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता हैं।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जाता हैं।
13. किसी चार्टेड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या (RJ/BEEO/~~JHOT~~ आमेर/JPR/ 338 /................) हैं।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगाा जिनकी निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/ जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय – समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी कीयें जायें।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्तो संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर

PRINCIPAL
N. K. Public School
Rajawas, Sikar Road, Jaipur

Secretary
N. K. PUBLIC SCHOOL
Rajawas, Sikar Road, Jaipur (Raj.)